केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
भारत सरकार
5-बी, सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : 011-24360532 फैक्स : 011-243624

सं. 1-1/19-20/रा.भा.

ऋषि कुमार शुक्ला
निदेशक

दिनांक 28.8.2019

संदेश

प्रिय साथियो,

विदित है कि 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और तब से भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों इत्यादि में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

न सिर्फ, सरकारी सेवक के नाते, बल्कि एक भारतीय होने के नाते भी सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना और इसको बढ़ावा देना हमारा संवैधानिक दायित्व है तथा इस जिम्मेवारी का निर्वहन हम हिंदी में अधिक-से-अधिक सरकारी कामकाज करके कर सकते हैं। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं, जिन्हें मैं आज के इस शुभ अवसर पर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात यह कि हिंदी में काम करने की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज देश के जितने भी विकसित देश हैं, जैसे – चीन, जापान, अमेरिका आदि, इन सभी देशों में सरकारी कामकाज़ उस देश की अपनी भाषा में ही किये जाते हैं। दूसरी बात यह कि प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी कार्यों में नियमानुसार कार्य हिंदी में ही किए जाएं, ताकि राजभाषा अधिनियम, नियम तथा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए मैं विशेषकर अधिकारीगण से यह अपेक्षा करूंगा कि वे हिंदी में काम करें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनें। आज के तकनीकि युग में कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करना बहुत आसान हो गया है। कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर इन्सटॉल करवा दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप अंग्रेजी की-बोर्ड के सहारे हिंदी में टाइप कर सकते हैं।

राजभाषा नीति मुख्यत: तीन मूल मंत्रों पर आधारित है – प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार। अत: हमारा यह कर्त्तव्य है कि इन मूल मंत्रों को अपनाकर हम सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को गति प्रदान करें। ऐसा मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार सीबीआई ने अपनी विशेषज्ञता और कर्मठता के बल पर जनमानस में अपनी जो छवि निर्मित की है, ठीक उसी तरह हम सरकार द्वारा राजभाषा के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी अग्रसर रहेंगे।

मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। अंत में मैं आप सबको इस पुनीत अवसर पर पुन: अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद।

(ऋषि कुमार शुक्ला)
निदेशक, के.अ.ब्यूरो